न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 59 / 2024(GCMS 2024/212)

(आरटीआई संख्या 21236222417 6552)

श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2024 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. लोकसभा चुनाव 2014 में तत्कालीन बी.एल.ओ. सुभाष गोयल, बैंकिंग सहायक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक चुनाव ड्यूटी में श्रीगंगानगर बी.एल.ओ. का कार्य करने के दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक जो [illegible] पर कार्यवाही करने वाले नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पत्रांक 62 दिनांक 01.05.2024 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. पत्रांक 62 दिनांक 01.05.2024 नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्र 62 दिनांक 01.05.2024 पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय की सूचना।
5. पत्र कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/आरटीआई/2024/705 दिनांक 09.12.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली इस कार्यालय के आदेश दिनांक 07.10.204 द्वारा तलाश की गई। उपलब्ध कार्यलय रिकॉर्ड तलाशने पर सुभाष गोयल संबंधित एक पत्रावली प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2024 या 25.10.2024 को कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया था। अपीलार्थी आदिनांक तक पत्रावली का अवलोकन करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हआ है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार [illegible] 2005 [illegible] 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना [illegible] हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित [illegible] और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो [illegible]ई सूचना बना सकते है और न

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित रिकॉर्ड की पत्रावली का अवलोकन करवा देवें और उसके द्वारा वांछित सूचना उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार, उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:03 IST
Reason: Self Attested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर